

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-13  
संख्या-908/एक-13-2015-7क(6)/2014  
लखनऊ दिनांक, 04 दिसम्बर, 2015

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 51 की उपधारा(1) और (2) विषयक राजस्व अनुभाग-13 की अधिसूचना संख्या 907/एक-13-2015-75क(6)/2014, दिनांक 03-12-2015 (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग लखनऊ को अधिसूचना की (हिन्दी/अंग्रेजी) की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को उत्तर प्रदेश के असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड(ख) में प्रकाशित कराने एवं उक्त की 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 2- महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 6- आयुक्त एवं निदेशक, भूमि अध्याप्ति, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उपसा/ यूपीडा/ नोयडा / ग्रेटर नोयडा, एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
- 9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश।
- 10- निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(बीरबल सिंह)  
उप सचिव।

Uttar Pradesh Shasan (2)  
Rajaswa Anubhag-13

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 907/1-13-2015-07Ka(6)/14 dated December 03, 2015.

**NOTIFICATION**  
Miscellaneous

No- 907 /1-13-2015-07Ka(6)/14  
Lucknow: Dated: December 03, 2015

In exercise of the powers under sub-section (1) and (2) of section 51 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) the Governor is pleased to establish " the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authorities " in Uttar Pradesh as per details given in the Schedule below:-

**Schedule**

Sl. No.	Place at which the Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Authority is established	Jurisdiction (District)
1	2	3
1.	Agra	1- Agra 2- Firozabad 3- Mainpuri 4- Mathura 5- Aligarh 6- Hathrus 7- Kasganj 8- Etah
2.	Meerut	1- Meerut



		2- Baghpat 3- Muzaffarnagar 4- Saharanpur 5- Shamli
3.	Gautam Buddha Nagar	1- Gautam Buddha Nagar 2- Ghaziabad 3- Hapur 4- Bulandshahr
4.	Bareilly	1- Bareilly 2- Badaun 3- Pilibhit 4- Shahjahanpur
5-	Moradabad	1- Moradabad 2- Bijnor 3- Sambhal 4- Rampur 5- Amroha
6-	Lucknow	1- Lucknow 2- Hardoi 3- Lakhimpur-Kheri 4- Raebareli 5- Sitapur 6- Unnao
7.	Kanpur	1- Kanpur Nagar 2- Kanpur Dehat 3- Etawah 4- Farrukhabad 5- Kannauj 6- Auraiya
8-	Jhansi	1- Jhansi 2- Lalitpur





(19)

		3- Jalaun 4- Hamirpur 5- Mahoba 6- Banda 7- Chitrakoot
9.	Allahabad	1- Allahabad 2- Kaushambi 3- Fatehpur 4- Pratapgarh
10.	Varanasi	1- Varanasi 2- Chandauli 3- Ghazipur 4- Jaunpur 5- Mirzapur 6- Bhadohi 7- Sonbhadra
11.	Faizabad	1- Faizabad 2- Ambedkar Nagar 3- Barabanki 4- Sultanpur 5- Amethi
12.	Basti	1- Basti 2- Siddharthnagar 3- Sant Kabir Nagar 4- Gonda 5- Bahraich 6- Balrampur 7- Shravasti
13.	Gorakhpur	1. Gorakhpur 2. Kushinagar 3. Deoria





(18)

4. Maharajganj
- 5- Azamgarh
- 6- Balia
- 7- Mau

By order,



(Dr. Ashok Kumar Verma)  
Sachiv

(17)

उत्तर प्रदेश शासन  
राजस्व अनुभाग-13  
संख्या-907/एक-13-2015-7क(6)/2014  
लखनऊ : दिनांक: 03 दिसम्बर, 2015  
अधिसूचना

प्रकीर्ण

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकांश अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, सन् 2013) की धारा 51 की उपधारा (1) और (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, नीचे अनुसूची में दिये गये विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश में " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरणों " के स्थापना करते हैं।

अनुसूची

क्रमांक	स्थान जहां भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापित किया जाता है।	क्षेत्राधिकार (जनपद)
1	2	3
1	आगरा	1-आगरा 2-फिरोजाबाद 3-मैनपुरी 4-मथुरा 5-अलीगढ़ 6-हाथरस 7-कासगंज 8-एटा
2	मेरठ	1-मेरठ 2-बागपत 3-मुजफ्फरनगर 4-सहारनपुर 5-शामली
3	गौतमबुद्ध नगर	1-गौतमबुद्धनगर 2-गाजियाबाद 3-हापुड



		1-कुलन्दरई
		2-ददगु
		3-गेलामोत
		4-शाहजहापुर
5	मुरादाबाद	1-मुरादाबाद
		2-बिजनौर
		3-सम्भल
		4-रामपुर
		5-अमरोहा
6	लखनऊ	1-लखनऊ
		2-हरदोई
		3-लखीमपुर खीरी
		4-रायबरेली
		5-सीतापुर
		6-उन्नाव
7	कानपुर	1-कानपुर नगर
		2-कानपुर देहात
		3-इटवा
		4-फर्रुखाबाद
		5-कन्नौज
		6-औरैया
8	झांसी	1-झांसी
		2-ललितपुर
		3-जालौन
		4-हमीरपुर
		5-महोबा
		6-बांदा
		7-चित्रकूट
9	इलाहाबाद	1-इलाहाबाद
		2-कौशाम्बी
		3-फतेहपुर
		4-प्रतापगढ़
10	वाराणसी	1-वाराणसी


५/६



15

		2-चन्दौली 3-गाजीपुर 4-जौनपुर 5-मिर्जापुर 6-भदोही 7-सोनभद्र
11	फैजाबाद	1-फैजाबाद 2-अम्बेडकरनगर 3-बाराबंकी 4-सुलतानपुर 5-अमेठी
12	बस्ती	1-बस्ती 2-सिद्धार्थनगर 3-सन्तकबीरनगर 4-गोण्डा 5-बहराइच 6-बलरामपुर 7-श्रावस्ती
13	गोरखपुर	1-गोरखपुर 2-कुशीनगर 3-देवरिया 4-महाराजगंज 5-आजमगढ़ 6-बलिया 7-मऊ

आज्ञा से,




 (डा० अशोक कुमार वर्मा)  
 सचिव

(15)

		2-चन्दौली 3-गाजीपुर 4-जौनपुर 5-मिर्जापुर 6-भदोही 7-सोनभद्र
11	फैजाबाद	1-फैजाबाद 2-अम्बेडकरनगर 3-बाराबंकी 4-सुलतानपुर 5-अमेठी
12	बस्ती	1-बस्ती 2-सिद्धार्थनगर 3-सन्तकबीरनगर 4-गोण्डा 5-बहराइच 6-बलरामपुर 7-श्रावस्ती
13	गोरखपुर	1-गोरखपुर 2-कुशीनगर 3-देवरिया 4-महाराजगंज 5-आजमगढ़ 6-बलिया 7-मऊ

आज्ञा से,



(डा० अशोक कुमार वर्मा)  
सचिव